<u>न्यायालयः</u>— साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी <u>जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण कं.—135 / 14</u> संस्थापित दिनांक—06.03.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। अ भियोजन
विरुद्ध
1— शाहरूख खांन पुत्र बबलू उर्फ तालीब खांन उम्र 22 साल 2— अख्तर पुत्र पप्पू उर्फ ताईव खांन उम्र 22 साल 3— पप्पू उर्फ ताईव खांन पुत्र औसाफ खांन उम्र 52 साल 4— जमीलाबाई पत्नी औसाफ खांन उम्र 70 साल निवासीगण— मैदान गली तहसील चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0
आरोपीगण
राज्य द्वारा :— श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :— श्री आलोक चौरसिया अधिवक्ता।

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 20.01.2017 को घोषित)

01— आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 324(2—शीर्ष) अथवा 324/34 (2—शीर्ष), 506 भाग दो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 16. 07.2014 को समय शाम पौने 9 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत मैदान गली फरियादी के मकान के सामने सार्वजनिक स्थान पर फरियादी फरीदा बानो को अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं सहअभियुक्तगण के साथ फरियादी फरीदा बानो की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त आशय के अग्रसरण में फरियादी फरीदा बानो की लोहे की छड से व आहत शबाना बानो की धारदार छुरी से मारकर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की अथवा सहयोग कारित किया एवं फरियादी फरीदा बानो को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 18.01.2017 फरियादी, आहत एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्तगण शाहरूख, अख्तर, पप्पू, जमीलाबाई को भा.द.वि की धारा 294, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी फरीदा बानों ने अपनी देवरानी शबाना बानो एवं पति मुजफ्फर के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 16.02.2014 को रात पौने 9 बजे की बात है कि फारूक के लड़के अमन का जन्म दिन का कार्यक्रम चल रहा था और उसकी देवरानी शबाना बानो घर के बाहर खडी थी तभी मोहल्ले के रहने वाले शाहरूख, अख्तर, पप्पू तीनो आकर उससे वोले डी.जे. को बंद करो। जब उसने मना किया तो तीनो आरोपीगण ने उसे बुरी-बुरी अश्लील गालियां देने लगे। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो पप्पू ने उसका गला पकडकर दवा दिया और शाहरूख ने उसे पीठ मे छड मार दी जिससे मुंदी चोट आई। जब वह चिल्लाई तो उसकी देवरानी शबाना बानो उसे बचाने आई तो उनको अख्तर और जमीला ने पकड लिया और जमीला ने छुरी मारी बांये हाथ की कलाई में लगकर खून निकल आया फिर चारो ने उन्हें लात, घुसा से मारपीट की जिससे उन दोनों को पीठ में, कमर में, मुंदी चोट आई। इसके बाद उन्हें सादिक, सलमान, आमिर ने बचाया तो चारो कहने लगे आज तो बच गये आइन्दा मिले और हमारी रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगे। पूलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोश होना तथा बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.07.2014 को समय शाम पौने 9 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत मैदान गली फरियादी के मकान के सामने सार्वजनिक स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ फरियादी फरिदा बानो की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उक्त आशय के अग्रसरण में फरियादी फरीदा बानो की लोहे की छड से व आहत शबाना बानो की धारदार छुरी से मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में फरियादी फरीदा बानो अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह सभी आरोपीगण को जानती है। घटना आज से करीब 2—3 साल पहले की होकर रात के 9—10 बजे की है। घटना दिनांक को फारूक के लड़के अमन का जन्म दिन का कार्यक्रम था। वह और उसकी देवरानी शबाना घर के बाहर खड़े हुए थे। अमन के जन्म दिन पर डी.जे. बज रहा था। तभी मोहल्ले के अख्तर, शाहरूख, पप्पू तीनो आए और डी.जे. को बंद करने को कहा, तो हमने कहा कि जन्म दिन का कार्यक्रम है, इसी बात को लेकर आरोपीगण से हमारी

कहा सुनी हो गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। कहा सुनी की आवाज सुनकर मेरी देवरानी शबाना आ गई थी।

- 07— फरीदा बानो अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि शबाना के साथ भी आरोपीगण की कहा सुनी हो गई थी और धक्का मुक्की में उसे तथा उसकी देवरानी शबाना को पत्थर पर गिरने से चोट आ गई थी, जिसके संबंध में उसके द्वारा थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना स्थल का नक्शामीका प्र.पी. 2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी तथा शबाना की चोटो का परीक्षण कराया था तथा पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 08— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि तीनो आरोपीगण उसे बुरी बुरी अश्लील गालिया देने लगै। इस बात से इंकार किया कि उसने गाली देने से मना किया तो पप्पू ने उसका गला पकडकर दवा दिया था। इस बात से इंकार किया कि गले में मुंदी चोट आ गई थी। इस बात से इंकार किया कि मार दी थी पीठ में लगकर मुंदी चोट आ गई थी। इस बात से इंकार किया कि उसकी देवरानी को जमीला और अख्तर ने पकड लिया था और जमीला ने शबाना को छुरी मार दी थी।
- 09— फरीदा बानो अ0सा01 ने इस बात से इंकार किया कि फिर चारो ने हम दोनों को लात घुसो तथा चांटे मारे थे जिससे हमारी पीठ, कमर में मुंदी चोटे आई थी। इस बात से इंकार किया कि चारो आरोपीगण कहने लगे थे कि आज तो बच गये और आइन्दा मिली और हमारी रिपोर्ट करने गई तो जान से मार देगे। साक्षी को उसका पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकती। अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह आज न्यायालय में असत्य कथन कर रही है।
- 10— शबाना अ०सा०२ एवं सलमान अ०सा०३ ने उनके न्यायालयीन कथनो में आरोपीगण को जानने वाली बात बताई किन्तु उक्त दोनो साक्षीगण ने घटना के संबंध अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उन्होंने अभियोजन कहानी का लेस मात्र भी समर्थन नहीं किया तथा साक्षी शबाना अ०सा०२ एवं सलमान अ०सा०३ को उनका पुलिस कथन कमशः प्र.पी. 4 एवं प्र.पी. 5 का ए से ए भाग पढकर सुनाये व समझाये जाने पर उक्त साक्षीगण ने पुलिस को उक्त कथन न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकती। इस प्रकार अभियोजन साक्षी शबाना अ०सा०२ एवं सलमान अ०सा०३ के कथनो से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 11— फरीदा बानो अ0सा01 एवं शबाना अ0सा02 जोकि प्रकरण में स्वयं आहत है ने

//4//दाण्डिक प्रकरण कमांक-135/14

अभियोजन की घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उसके न्यायालयिन कथनों में व्यक्त किया कि आरोपीगण से उनकी कहा सुनी हो गई थी, एवं धक्का मुक्की में फरीदा बानो एवं शबाना ने पत्थर पर गिरने से चोट आना व्यक्त किया। जिसकी रिपोर्ट उसने थाना चंदेरी में की थी तथा अभियोजन द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को आरोपी शाहरूख द्वारा फरियादिया फरीदा बानों को छड से मारा था तथा शबाना को जमीला और अख्तर ने पकड लिया था और जमीला ने शबाना को छुरी मार दी थी।

12— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 16.07.2014 को समय शाम पौने 9 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत मैदान गली फरियादी के मकान के सामने सार्वजनिक स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ फरियादी फरीदा बानों की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया उक्त आशय के अग्रसरण में फरियादी फरीदा बानों की लोहे की छड से व आहत शबाना बानों की धारदार छुरी से मारकर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की। अतः अभियुक्तगण शाहरूख, अख्तर, पण्यू, जमीलाबाई तहसील चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0 को भा.द.वि. की धारा 324(2—शीर्ष) अथवा 324/34 (2—शीर्ष) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 13- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमान विद्यमान नहीं है।
- 14- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0